



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273773
CG-DL-E-24062026-273773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3198]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/ आषाढ 1, 1948

No. 3198]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ ASHADHA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3330(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार उक्त तालिका के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

तालिका

रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
रारा -48	धौला कुआं (दिल्ली) – दिल्ली/हरियाणा सीमा खंड (दिल्ली एनसीटी में)	संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है।

[फा.सं. एनएच-14013/17/2026-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3330(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-48	Dhaura Kuan (Delhi) – Delhi/Haryana border Section (In the NCT of Delhi)	Entire NH falling in the NCT of Delhi

[F. No. NH-14013/17/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3331(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 78(अ), दिनांक 04 फरवरी, 1999 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के तहत निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :-

8	दिल्ली से दिल्ली/हरियाणा सीमा (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में)	किमी. 0.0 से किमी. 11.00 तक
---	--	-----------------------------

[फा.सं. एनएच-14013/17/2026-पी ऍंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ.78(अ) दिनांक 04 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3331(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 78(E), dated the 4th February, 1999, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

8	Delhi to Delhi/Haryana border (In the National Capital Territory of Delhi)	From Km 0.0 to Km 11.00
---	---	-------------------------

[F. No. NH-14013/17/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note:-The principal notification was published vide S.O. number 78(E), dated the 4th February, 1999.